

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / १००५

दिनांक : ५-९-२०१६

सम्बद्धता आदेश

शासन के पत्र संख्या सम्ब०-२८८/सत्तर-२-२०१४-२(२८८)/२०१४, दिनांक २४.०६.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की घारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कृष्णा कालेज ऑफ लॉ, ग्राम-कगालपुर, छुड़मलपुर जिला सहारनपुर को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल०बी० (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्वयित्व प्राप्ति योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रबन्ध समिति अनुमोदित न होने, सिजरे एवं नजरी नवशो की प्रमाणित प्रति वाढ़ित होने एवं ट्रूटटीड की प्रमाणित प्रति वाढ़ित होने के दृष्टिगत दिनांक ०१.०७.२०१४ से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

०१. सरका द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की घारा-३७(२) में प्राविधिकीय परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
०२. कठियाय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इगित कमियों यथा—प्रामूल का नवीनीकरण, अनिश्चयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र साथम रत्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
०३. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसंघिय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
०४. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
०५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधिकानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार कृच्छा कालेज ऑफ लॉ, ग्राम-कमालपुर, छुट्टमलपुर जिला-सहारनपुर को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0वी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित प्रेषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शहीं के अधीन दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेगे।

मवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि —**

1. सांचेय, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, कृच्छा कालेज ऑफ लॉ, ग्राम-कमालपुर, छुट्टमलपुर जिला-सहारनपुर।
3. सचिव, बार कोरिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कमटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि यह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर ढालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
११-  
१८